

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०:परि०प्र०/

/2024-25 दिनांक 21/10/2024

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

मयूर पब्लिक स्कूल, सैक्टर-16ए,

वसुन्धरा, जनपद गाजियाबाद।

मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.10.2024 द्वारा सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्र संख्या: बे०शि०प०/सामान्य(5) 24,454-532 94-95 दिनांक 25 मार्च, 1995 में निहित निर्देशों के क्रम में सर्वसहमति से मयूर पब्लिक स्कूल, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा जनपद गाजियाबाद का नाम सेंट एंड्रयूज वर्ल्ड स्कूल, सैक्टर-16 ए, वसुन्धरा, जनपद गाजियाबाद परिवर्तित/नाम संशोधन करने की अनुमति दी गयी है।

अतः मण्डलीय मान्यता समिति के पत्र दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर मयूर पब्लिक स्कूल, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा जनपद गाजियाबाद के स्थान पर विद्यालय का नाम सेंट एंड्रयूज वर्ल्ड स्कूल, सैक्टर-16 ए, वसुन्धरा, जनपद गाजियाबाद परिवर्तित/नाम संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी शासनादेश के अनुरूप मान्यता की शर्तों के मानकों को बनाये रखना होगा।

(ओ०पी०यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ०सं०: परि०प्र०/

4995-97

/2024-25, दिनांक-यथावत्।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) मेरठ मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक शि0स0 /

193-94

/2018-19

दिनांक

15/4/19

प्रबन्धक,

मयूर प0जू0हा0स्कूल

16 वसुन्धरा गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 14-12-2018 द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना दिया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार कार्यालय के पत्रांक/शि0स0/मान्यता/7136-38/2013-14 दिनांक 18-01-2014 द्वारा आपके विद्यालय को कक्षा-नर्सरी से 08 तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद की संस्तुति 30.10.2018 के आधार पर शासनादेश संख्या- संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(राजेश कुमार श्रीबास)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

पृ0स0 शि0स0 /

/2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि- खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक
मयूर प0जू0हा0 स्कूल
16 वसुन्धरा गाजियाबाद।

पत्रांक/शि0सं0/मान्यता/ 7136-38

/2013-14 दिनांक-18/11/2014

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 31.08.2013 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं मयूर प0जू0हा0 स्कूल 16 वसुन्धरा गाजियाबाद को दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 8 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 की कार्यवाही में प्रदत्त सहमति के आधार पर अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम नि. के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 26/6000 कुल निर्मित क्षेत्र 2665 वर्गमी. कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल 31

कक्षाओं की संख्या 10 प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मण्डल के लिए कक्षा 02

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 10 पेयजल सुविधा

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई 01 बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम/संगठन या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जे0टी0टी0-03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद
18/11/2014

पृ0सं0/शि0सं0/

/2013-14 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र.....
- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।